

3594

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024

Dated Shimla-171002, the

01-07-2024

ORDER

Subject:- Diversion of 4.5 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road to village Madhana to Fandi Bodiwala via Janglot (Kms 8/200 to 15/700), within the jurisdiction of Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/24433/2017).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/110/2019/एफ.सी./175 दिनांक 31/03/2022 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.5 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

- वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 9.00 हे० वन क्षेत्र, Compartment No. C-4, RF Bhadana, Bhagani Forest Range, Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. में क्षतिपूरक किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

ख) Condition, stipulated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India in above referred order at serial No. 3(b) in final approval has been complied and uploaded at para-13(ii) in online Part-II and intimation in this regard has been conveyed to this office by the Nodal Officer-cum-APCCF(FCA), O/o Pr. CCF(HoFF), H.P. vide letter No. Ft. 48-3594/2017 (FCA) dated 11-06-2024.
- This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 08-02-2023 in Writ Petition(s) (Civil) No.(s) 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirululpad Vs. Union of India & Ors.

S/FCA

J. K. (FCA)

APCCF (FCA)
04/07/24JOA (T)
fury/g.

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 05-03/2011/FC (Vol-I) दिनांक 06-01-2022 के अनुसार एन.पी.वी. (NPV) दरों में संशोधन किया गया है। यदि मंत्रालय द्वारा भविष्य में उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण यथानुसार NPV राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 856 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
8. The State Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of the compliance for the same along with documentary evidence be provided to the office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां-जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होंगे।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।



18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980] का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 एवं Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

एम. सुधा देवी, भा0प्र0से0
सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. FFE-B-F002/46/2024 Dated, Shimla – 171002 ^{1st} June, 2024

Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-3594/2017 (FCA) dated 11-06-2024 for similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-1
6. The Deputy Commissioner, Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh.
7. The Ex-Engineer, HPPWD Paonta Sahib, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh.
8. The Divisional Forest Officer, Paonta Sahib Forest Division, Distt. Sirmour, H.P.
9. Guard file.

Signed by Vijay Kumar

Date: 01-07-2024 13:34:24

Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh
